न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा–II आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 39/2021

बालकिशन पिता स्व0 जगन्नाथ धाकड निवासी रायती तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1– उदा पिता भैरू जाति धाकड निवासी रायती तह0 बेगूँ

2– श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बी.आर.जी.बी. शाखा ठुकराई

3– श्री भू मिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

4– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, प्रतिनिधि राज0सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11.10.2021

निर्णय वाद अ.धा. 53 रार्जस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रायती प0ह0 रायती में वादी व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे आधिपत्य की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसके खाता संख्या 39 है आराजी निम्न प्रकार से है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
80	0.599
143	0.776
144मी.	0.368
301	0.032
302	0.065
303	0.073
305	0.065
306	0.049
573	0.065
572	0.049
781	0.008
785	0.032
790	0.097
1588/82	0.296
82मी.	0.241
86मी.	0.136
779	0.032
किता–17	2.974 हैक्टर

वादी व प्रतिवादी संख्या एक का परिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

भैरूजी
- जगन्नाथ फौत
  - बलकिशन वादी
- उदा
  - प्रति.सं.1

वर्णित कृषि आराजीयात वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी पैत्रिक होकर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादी संख्या एक ने अपने अपने निहित हक हिस्सा भू मि का मौके पर हिस्सा अनुसार मौखिक विभाजन किया और वादी व प्रतिवादी संख्या एक अपने अपने निहित हक हिस्सा भूमि पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है और उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विधिवत विभाजन नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आए दिनल भूमि को लेकर एवं लगान आदि जमा कराते समय विवाद होकर मन मुटाव होता रहता है जिसके स्थाई समाधान एवं विभाजन हिस्सा भूमि का विधिवत कराये जाने हेतु वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत है। वादी ने प्रतिवादी को कई मर्तबा काबिजअनुसार विभाजन करा खाता अलग अलग किये जाने हेतु

कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या एक द्वारा मना दिये जाने से यह वादपत्र न्ययालय श्रीमान मे प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वाद कारण दिनांक 25.05.2021 को वादी ने प्रतिवादी संख्या एक को तहसील में चल कर वाद वर्णित भूमि का विधिवत विभाजन करा खाता अलग अलग कराने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या एक द्वारा इन्कार दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वर्णित कृषि भूमि ग्राम रायती तह0 बेगूं में स्थित होने से वाद पत्र न्यायालय के श्रृवणाधिकार का होने से न्यायालय श्रीमान मे पेश है एवं वाद वर्णित खातेदारी कृषि आराजीयात बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई के रहन होने से बैंक शाखा को पक्षकार बनाया गया है तथा भूमिधारी तहसीलदार विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। साथ ही राज्य सरकार के प्रतिनिधित श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पक्षकार बनाया जाकर वादपत्र वादी का प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष की डिकी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान करायी जावेः–

1– कि मौजा रायती प0ह0 रायती की उक्त वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी के निहित हक हिस्सा 1/2 भूमि व प्रतिवादी सं0 एक का निहित हक हिस्सा 1/2 भूमि का मौके पर काबिजनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान करायती जावें।

2– कि बाद विभाजन वादी के निहित हक हिस्सा भूमि का खाता पृथक पृथिक रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित अमल दरामद कराये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रदान करायी जावे।

3– कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

4– कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय मं उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये साथ ही प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 विभाजन के वाद पत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब पत्रावली पर नहीं लिया गया। प्रकरण में एक तरफा साक्ष्य वादी में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी बालकिशन का प्रस्तत किया जाकर उनके बयान कनलबद्ध कराये गये तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस को प्रदर्श कराया गया जो कमशः प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 है।

पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस दावा अ.धा. 53 राज.काश्त.अधि. के लिए सुनी गई जिन्होने वादपत्र अनुसार अपनी बहस को निवेदन करते हुए वादपत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श– 1 का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वाद वर्णित कलम संख्या एक में दर्ज अंकित आराजी मौजा रायती प0ह0 रायती के आराजी संख्या 80,143,144मी.,301,302,303,305,306, 573,572,781,785,790,1588/82,82मी. 86मी., 779 किता– 17 कुल रकबा 2.974 हैक्टर भूमि जगन्नाथ पिता भैरू एवं उदार पिता भैरू के नाम पर दर्ज थी, उक्त आराजीयात में जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने से जरिये विरासत नामान्तरण संख्या 997 दिनांक 05.03.2019 से उक्त आराजीयात जगन्नाथ के बजाय बालकिशन, कंचनबाई पिता जगन्नाथ के नाम पर दर्ज हुई साथ ही हकत्याग नामा0सं0 1003 दिनांक 05.06.2019 से कंचनबाई के हकत्याग करने से उनका हिस्सा बालकिशन पिता जगन्नाथ के नाम पर दर्ज किये जाने की स्वीकृति का अंकन जमाबंदी में दर्ज, नक्शाट्रेस व प्रदीर्श– 2 है, हमारे नकल जमावंदी के अवलोकन से पाया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी बालकिशन का हक हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या एक का हक हिस्सा 1/2 होने से वादी अपने हक हिस्से का विभाजन कराने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। मौजा रायती प0ह0 रायती की आराजी संख्या 80,143,144मी.,301,302,303,305,306, 573,572,781,785,790,1588/82,82मी.86मी., 779 किता– 17 कुल रकबा 2.974 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/2 रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर काबिजनुसार भूमि का विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त निर्णयानुसार प्राथमिक डिकी जारी की जाती है, प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार, बेगूं उक्त आराजी के विभाजन किये जाने हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक .11.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा–II)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूं

-----लगातार